RNI No. MAHBIL /2009/31730

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ११, अंक १६] गुरुवार, जुलै ३, २०२५/आषाढ १२, शके १९४७ [पृष्ठे १०, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक २६

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक **३ जुलाई, २०२५** ई. को. पुरःस्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशित किया जाता है :-

L. A. BILL No. LXXIII OF 2025.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ७३ सन् २०२५।

महाराष्ट्र वस्तुं और सेवा कर अधिनियम, २०१७ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

सन् २०१७ का महा. ४३।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र वस्तुं और सेवा कर अधिनियम, २०१७ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य छिहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र वस्तुं और सेवा कर(संशोधन) अधिनियम, २०२५ कहलाए।

(२) इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह धारा तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी और शेष धाराएँ ऐसे दिनांक को भविष्यलक्षी या भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगी जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत करें और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए, अलग-अलग दिनांक नियत किए जा सकेगें और इस अधिनियम के प्रारम्भण के लिए किन्ही ऐसे उपबंध में किसी संदर्भ का उस उपबंध के प्रवृत्त होने के संदर्भ के रूप में अर्थ लगाया जायेगा ।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा २ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र वस्तु और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया है। की धारा २ के,— सन् २०१७ का महा. ४३।

(एक) खण्ड (६१) में, "धारा ९" शब्द और अंक के पश्चात् "इस अधिनियम के या एकीकृत वस्तु और सेवा कर अधिनियम," की धारा ५ की, उप-धारा (३) या उप-धारा (४) के अधीन शब्द, कोष्ठक और अंक निविष्ट किए जायेंगे और १ अप्रैल २०२५ से निविष्ट किए गए समझे जायेंगे ;

(दो) खण्ड (६९) के,—

(क) उप-खण्ड (ग) में, "नगर निगम का प्रबंधन" शब्दों के पश्चात् "निधी" शब्द निविष्ट किया जायेगा ;

(ख) उप-खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्न **स्पष्टीकरण** निविष्ट किया जायेगा,

अर्थात :—

"**स्पष्टीकरण**.— इस उप-खण्ड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) " स्थानीय निधि " का तात्पर्य, पंचायत क्षेत्र के संबंध में नागरिक कृत्यों का निर्वहन करने के लिए स्थापित की गई है और किसी स्थानीय स्व-शासन के प्राधिकरण के नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन, किसी निधि से है, जो कोई कर, शुल्क, पथकर, उपकर या फीस चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, के उद्ग्रहण, संग्रहन और विनियोजन करने के अधिकारों के साथ विधि द्वारा निहित है ;

(ख) " नगरपालिका निधि " का तात्पर्य, कोई महानगर क्षेत्र या नगरपालिका क्षेत्र के संबंध में नागरी कृत्यों का निर्वहन करने के लिए स्थापित की गई स्थानीय - स्व-शासित प्राधिकरण के नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन किसी निधि से है और किसी कर, शुल्क, पथकर, उपकर या फ़ीस चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए का उद्ग्रहण, संग्रहण और विनियोजन करने के अधिकारों के साथ विधि द्वारा निहित है ;";

(तीन) खण्ड (११६) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा,अर्थात् :—

"(११६क) विशिष्ट पहचान चिन्हांकित करना" का तात्पर्य,धारा १४८ क की उप-धारा (२) के खण्ड (ख) में निर्देशित विशिष्ट पहचान चिन्ह से है और इसमें डिजीटल स्टाम्प, डिजीटल चिन्ह या कोई अन्य समान चिन्ह शामिल है जो विशिष्ट, सुरक्षित और हटाए नहीं जानेवाले है, सम्मिलित हैं ;"।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा १२ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा १२ की, उप-धारा (४) अपमार्जित की जायेगी।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा १३ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा १३ की, उप-धारा (४) अपमार्जित की जायेगी।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा १७ में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा १७ की, उप-धारा (५) के, खण्ड (घ) में,—

(एक) " संयंत्र या मशीनरी " शब्दों के स्थान में, " संयंत्र और मशीनरी " शब्द रखे जायेंगे और १ जुलाई २०१७ से रखे गए समझे जायेंगे ;

(दो) **स्पष्टीकरण**, उसे स्पष्टीकरण-१ के रूप में क्रमांकित किया जायेगा और इसप्रकार क्रमांकित **स्पष्टीकरण-१** के पश्चात्, निम्न स्पष्टीकरण निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

स्पष्टीकरण २.— खण्ड(घ) के प्रयोजनों के लिए, एतद्द्वारा, यह स्पष्ट किया जाता है कि, किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी न्याय निर्णय, ड़िक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसीबात के होते हुए भी, 'संयंत्र या मशीनरी' का कोई संदर्भ समझा जायेगा और हमेशा 'संयंत्र में मशीनरी' के संदर्भ के रूप में समझा जायेगा ;"।

६. मूल अधिनियम की धारा २० में, १ अप्रैल २०२५ से, — सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा २० में संशोधन।

(एक) उप-धारा (१) में "धारा ९" शब्द और अंक के पश्चात्, " इस अधिनियम के या एकीकृत वस्तु और सेवा कर अधिनियम की धारा ५ की, उप-धारा (३) या उप-धारा (४) के अधीन" शब्द, कोष्ठक और अंक निविष्ट किए जायेंगे ;

(दो) उप-धारा (२) में, " धारा ९" शब्द और अंक के पश्चात्, "इस अधिनियम के या एकीकृत वस्तु और सेवा कर अधिनियम की धारा ५ की, उप-धारा (३) या उप-धारा (४) के अधीन " शब्द, कोष्ठक और अंक निविष्ट किए जायेंगे।

७. मूल अधिनियम की धारा ३४ की उप-धारा (२) के, परंतुक के स्थान में निम्न परंतुक रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ३४ में संशोधन।

"परंतु यह कि,—

(एक) ऐसे जमा नोट से प्राप्त निर्विष्ट कर जमा राशि यदि प्राप्त की है, और प्राप्तकर्ता द्वारा वह वापस नहीं की है तो ऐसा प्राप्तकर्ता रजिस्टीकृत व्यक्ति होगा ;

(दो) ऐसे आपूर्ति पर कर का भार, अन्य मामलों में, किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाता है, तो प्रदायकर्ता के निर्गत कर दायित्व में कोई कटौति करने की अनुमति नहीं होगी।"

८. मूल अधिनियम की धारा ३८ की,— सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ३८ में संशोधन।

(एक) उप-धारा (१) में "स्वनिर्मित विवरणी" शब्दों के स्थान में, "विवरणी" शब्द रखा जायेगा ;

(दो) उप-धारा (२) में,—

(क) के अधीन निर्मित विवरणी शब्दों के स्थान में, "में निर्दिष्ट विवरणी" शब्द सखे जायेंगे ;

(ख) खण्ड (क) में, "और" शब्द अपमार्जित किया जायेगा ;

(ग) खण्ड (ख) में,"प्राप्तिकर्ता द्वारा" शब्दों के पश्चात्, "सम्मिलित" शब्द निविष्ट किया जायेगा ;

(घ) खण्ड (ख) के पश्चात् निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

(ग) जैसा कि विहित किया जाए ऐसे अन्य ब्यौरे।"।

९. मूल अधिनियम की धारा ३९ की, उप-धारा (१) में, "और ऐसे समय के भीतर " शब्दों के स्थान में, "ऐसे समय के भीतर और ऐसे शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन" शब्द रखे जायेंगे। सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ३९ में संशोधन।

१०. मूल अधिनियम की धारा १०७ की, उप-धारा (६) के परंतुक के स्थान में, निम्न परंतुक रखा जायेगा अर्थात् :— सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा १०७ में संशोधन।

"परंतु यह कि, किसी कर की माँग अंतर्विष्ट किए बिना शास्ति की माँग करनेवाले किसी आदेश के मामले में, जब तक अपीलकर्ता द्वारा, उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के समान राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तब तक, ऐसे आदेश के विरुध्द अपील की दाखिल नहीं की जायेगी।"।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ११२ में संशोधन।

११. मूल अधिनियम की धारा ११२ की उप-धारा (८) में निम्न परंतुक निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :-

"परंतु यह कि, किसी कर की माँग अंतर्विष्ट किए बिना शास्ति की माँग करनेवाले किसी आदेश के मामले में, जब तक अपीलकर्ता द्वारा धारा १०७ की, उप-धारा (६) के परंतुक के अधीन देय रकम के अतिरिक्त में, उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के समान राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तब तक, ऐसे आदेश के विरुध्द कोई अपील दाखिल नहीं की जायेगी।"।

सन् २०१७ का महा. ४३ मे नई धारा १२२ख का निवेशन।

१२. मूल अधिनियम की धारा १२२ क के पश्चात्, निम्न धारा निविष्ट किया जायेगी,अर्थात् :-

ट्रॅक और ट्रेस यंत्रणा का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति।

"**१२२ ख.** इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ धारा १४८ क की, उप-धारा (१) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उक्त धारा के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह, इस अध्याय पंद्रह या इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी शास्ति के अतिरिक्त एक लाख रुपयों की राशि के समतुल्य शास्ति या ऐसे वस्तुओं पर देय कर के दस प्रतिशत की समान शास्ति, जो भी अधिकतर है, अदा करने के लिए दायी होगा।"।

सन् २०१७ का महा. ४३ में नई धारा १४८क का निवेशन।

१३. मूल अधिनियम की धारा १४८ के पश्चात्, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

कतिपय वस्तुओं के लिए ट्रेस और ट्रॅक यंत्रणा ।

"**१४८क.** (१) सरकार, परिषद की सिफारीशों पर, अधिसूचना द्वारा, – यह विनिर्दिष्ट कर सकेगी कि,–

(क) वस्तुएँ ;

(ख) व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जिनके पास ऐसी वस्तुओं का कब्ज़ा है या व्यापार करते है, उनको इस धारा के उपबंध लागू होंगे।

(२) सरकार उप-धारा (१) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में,–

(क) जैसा कि विहित किया जाए ऐसे व्यक्तियों के ज़रिए विशिष्ट पहचान चिन्ह चिपकाने के लिए समर्थकारी और उसमें अंतर्विष्ट जानकारी के इलेक्ट्रॉनिक भण्डारण और प्रवेश के लिए प्रणाली का उपबंध करना : और

(ख) उसमें अभिलिखित की जानेवाली जानकारी समेत ऐसे वस्तुओं के लिए विशिष्ट पहचान चिन्ह विहित करना।

(३) उप-धारा (१) में निर्दिष्ट व्यक्ति,–

(क) उसकी उक्त वस्तुओं या पैकेट पर ऐसी जानकारी और ऐसी रीत्या में अंतर्विष्ट विशिष्ट पहचान चिन्ह चिपकाएगा;

(ख) ऐसे समय के भीतर ऐसी जानकारी और ब्यौरे प्रस्तुत किये जाएँगे और ऐसे प्ररुप तथा रीति में ऐसे अभिलेख या दस्तावेजों को रखा जायेगा वह प्ररूप और रीति;

(ग) ऐसी वस्तुओं के विनिर्माण कारोबार के स्थान में स्थापित यंत्रना के ब्योरे समेत पहचना क्षमता, परिचालन का अवधि और ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे प्ररूप और रीत्या, ऐसे अन्य ब्यौरे या जानकारी समेत ब्यौरे प्रस्तुत करेगा ;

(घ) उपधारा (२) में निर्दिष्ट प्रणाली के संबंध में ऐसी रकम अदा करेगा, जिसे की विहित किया जाए।

१४. मूल अधिनियम की अनुसूची तीन में,– सन् २०१७ का महा. ४३ की अनुसूची तीन में संशोधन ।

(एक) परिच्छेद ८ के खण्ड (क) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा और १ जुलाई २०१७ से निविष्ट किया गया समझा जायेगा, अर्थात् :-

(कक) विशेष आर्थिक क्षेत्र में या मुक्त व्यापार माल भण्डारण क्षेत्र में के गोदाम में रखे गए वस्तुओं की निकासी के पूर्व किसी व्यक्ति को निर्यात के लिए या घरेलू सीमा शुल्क क्षेत्र के लिए आपूर्ति;";

(दो) **स्पष्टीकरण** २, में " के प्रयोजन के लिए " "शब्दों के पश्चात् " का खण्ड (क) " शब्द, कोष्ठक और अक्षर निविष्ट किए जायेंगे और १ जुलाई २०१७ से निविष्ट किए गए समझे जायेंगे ;

(तीन) स्पष्टीकरण २ के पश्चात् निम्न स्पष्टीकरण निविष्ट किया जायेगा और १ जुलाई २०१७ से निविष्ट किया गया समझा जायेगा, अर्थात्,—

"स्पष्टीकरण ३.– परिच्छेद ८ के खण्ड (कक) के प्रयोजनों के लिए " विशेष आर्थिक क्षेत्र ", "मुक्त व्यापार माल भण्डारण क्षेत्र " और " घरेलू सीमाशुल्क क्षेत्र" अभिव्यक्ति का क्रमशः वही अर्थ होगा जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, २००५ की, धारा २ में उसे समनुदेशित किया गया है । "।

सन् २००५ का २८।

१५. सभी ऐसे कर, जिसका संग्रहण किया गया है, प्रतिदाय नहीं होगा, परंतु जिसका इसप्रकार संग्रहण नहीं होगा धारा १४, सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में बनी रही थी। संग्रहित कर का प्रतिदाय नहीं होगा ।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य

वस्तु और सेवा कर परिषद द्वारा अपने बैठक में वस्तू और सेवा कर विधियों में संशोधन करने की आवश्यकता से संबंधित विभिन्न निर्णय लिये गये हैं। तद्नुसार, वित्त अधिनियम २०२५ (सन् २०२५ का (७) द्वारा केंद्रिय वस्तु और सेवा कर, २०१७ (सन् २०१७ का १२) में संसद द्वारा संशोधित किया गया है। उपर्युक्त बैठकों में वस्तु और सेवा कर परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन करने और केंद्रिय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, २०१७ और महाराष्ट्र वस्तु और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (सन् २०१७ का महा. ४३) के उपबंधों को लागू करने में एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से, महाराष्ट्र वस्तु और सेवा कर अधिनियम, २०१७ में संशोधन करना इष्टकर है।

२. प्रस्तावित संशोधनों की प्रमुख विशेषताएँ यथा निम्न है :—

(एक) एकीकृत वस्तुं और सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा ५ की, उप-धारा (३) और (४) के अधीन कर के अध्यधीन आपूर्तियों के संदर्भ समेत निविष्टि सेवा वितरक (आईएसडी) के अधीन अंतरराज्य रिवर्स चार्ज यंत्रणा (आरसीएम) संव्यवहार समेत स्पष्टता से सम्मिलित करने के लिए धारा २ के खण्ड (६१) में संशोधन करना ;

(दो) 'स्थानीय निधि' और 'नगर पालिका निधि' निबंधन की परिभाषाओं के लिए उपबंध करने के लिए स्पष्टीकरण निविष्ट करने के लिए धारा २ के खण्ड (६९) का उप-खण्ड (ग) में संशोधन करना ;

(तीन) ट्रॅक और ट्रेस यंत्रणा का कार्यान्वयन करने के लिए विशिष्ट पहचान चिन्ह की परिभाषा का उपबंध करने के लिए धारा २ में नया खण्ड (११६क) निविष्ट करना ;

(चार) अगर वस्तु की आपूर्ति नहीं है तो सेवा भी नहीं होनेवाले वाउचर में संव्यवहार के संबंध में आपूर्ति के समय के लिए उपबंध निकालने के लिए धारा १२ की, उप-धारा (४) और धारा १३ की, उप-धारा (४) का अपमार्जन करना ;

(पाँच) धारा १७ की उप-धारा (५) के, खण्ड (घ) का १ जुलाई २०१७ से भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करना ;

(छह) एकीकृत वस्तु और सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा ५की, उप-धारा (३) और (४) के अधीन करादेय आपूर्तियों के संदर्भों द्वारा निविष्टि सेवा वितरक (आइएसडी) प्रणाली के अधीन अंतरराज्य रिजर्व चार्ज यंत्रणा (आरसीएम) का समावेश स्पष्ट करने के लिए धारा २० की, उप-धारा (१) और (२) में संसोधन करना;

(सात) रजिस्ट्रीकृत प्राप्तकर्ता द्वारा नामे-नोट के संबंध में तत्स्थानी निविष्टि कर साख वापस लेने की आवश्यकता के लिए उपबंध करने, यदि लाभ उठाया है तो उक्त नामे नोट के संबंध में आपूर्तिकर्ता का कर दायित्व कम करने के प्रयोजन के लिए, स्पष्टता लाने के लिए धारा ३४ की, उपधारा (२) में संशोधन करना है। इसका अधिकतर आशय है कि, उक्त नामे नोट के संबंध में आपूर्तिकर्ता के कर दायित्व को कम करने के प्रयोजन के लिए, आपूर्ति पर व्याज का आपतन नहीं डालनेवाली उक्त परंतुक की शर्त को हटाना है;

(आठ) निविष्टि कर खरव की विवरणी के संबंध में, " स्व-निर्मित " निबंधन को वापस लेने के लिए धारा ३८ की, उप-धारा (१) और (२) में संशोधन करना ;

(नौं) धारा ३९ की उप-धारा (१) में संशोधन करना है ताकि, उक्त उप-धारा के अधीन विवरणी दाखिल करने के लिए शर्ते और निबंधन विहित करने के समर्थकारी खण्ड के लिए उपबंध करना;

(दस) कर की माँग सिम्मिलित किए बिना केवल शास्ति की माँग अंतर्विष्ट होनेवाले मामलों में अपील प्राधिकरण के समक्ष अपील दाखिल करने के लिए पच्चीस प्रतिशत के बदले दस प्रतिशत पूर्व-निक्षेप की अदायगी का उपबंध करने के लिए धारा १०७ की उप-धारा (६) के परंतु का संशोधन करना;

(ग्यारह) कर की माँग सम्मिलित किए बिना केवल शास्ति की माँग अंतर्विष्ट होने के मामले में अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल करने के लिए दस प्रतिशत के पूर्व-निक्षेप की अदायगी के लिए उपबंध करने के लिए धारा ११२ की, उप-धारा (८) में नया परंतुक निविष्ट करना;

(बारह) धारा १४८ क के अधीन उपबंधित ट्रॅक और ट्रेस यंत्रणा से संबंधित उपबंधों का उल्लंघन करने पर शास्ति का उपबंध करने के लिए धारा १२२ ख का निवेशन करना;

(तेरह) विनिर्दिष्ट कर चोरी की आशंकावाली वस्तुओं के लिए ट्रॅक और ट्रेस यंत्रणा का प्रवर्तन करने के लिए सरकार को समर्थ बनाने के समर्थकारी उपबंध के रूप में धारा १४८ क का निवेशन करना ;

(चौदह) १ जुलाई २०१७ से भूतलक्षी प्रभाव से **अनुसूची तीन** में संशोधन करना,–

(क) **अनुसूची तीन** के परिच्छेद ८ के नए खण्ड (कक) के निवेशन द्वारा यह उपबंध करना है कि, विशेष आर्थिक क्षेत्र या मुक्त व्यापार माल भंडारण क्षेत्र में के गोदाम में रखे गए वस्तुओं की निकासी से पहले किसी व्यक्ति को निर्यात करने के लिए या घरेलू सीमा शुल्क क्षेत्र के लिए की आपूर्ति का व्यवहार, नाही वस्तुओं की आपूर्ति ना ही सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा;

(ख) उक्त अनुसुची के परिच्छेद ८ के खण्ड (क) के संबंध में उक्त स्पष्टीकरण लागू होगा यह स्पष्ट करने के लिए कि, स्पष्टीकरण २ में संशोधन करना;

(ग) उक्त अनुसूची के, परिच्छेद ८ में प्रस्तावित खण्ड (कक) के प्रयोजन के लिए, " विशेष आर्थिक क्षेत्र " " मुक्त व्यापार माल भण्डारण क्षेत्र, और देशिय सीमाशुल्क क्षेत्र " निबंधनों को परिभाषित करने के लिए स्पष्टीकरण ३ जोड़ना ।

३. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,

दिनांकित २ जुलाई, २०२५।

अजित पवार,

उप-मुख्यमंत्री (वित्त)।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन

प्रस्तुत विधेयक में विधायीशक्ति के प्रत्यायोजन के लिए निम्न प्रस्ताव अंतर्ग्रस्त है, अर्थात् :-

खण्ड १ (२).- इस खण्ड के अधीन, उक्त अधिनियम की शेष धाराएं, भूतलक्षी या भविष्यलक्षी प्रभाव से, जिसे राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत कर सकेगी ऐसे दिनांक पर प्रवर्तन में लाने, तथा इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए अलग-अलग दिनांक नियत कर सकने के अधिकार राज्य सरकार को प्रदान किए है।

खण्ड १३.- इस खण्ड के अधीन, जिसका लक्ष्य उक्त अधिनियम में धारा १४८क निविष्ट करने के लिए,–

(एक) उप-खण्ड (१) में, वस्तुओं या व्यक्तियों को इस धारा की प्रयुक्ति अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करने;

(दो) उप-खण्ड (२) में ऐसे व्यक्तियों द्वारा विशिष्ट पहचान चिन्ह सक्षम करनेवाले प्रत्यायोजन के लिए और उसमें अंतर्विष्ट जानकारी के इलेक्ट्रॉनिक भण्डारण और अभिगम के लिए, एक प्रणाली विहित करने के अधिकार राज्य सरकार को प्रदान किए गए है।

(तीन) उप-खण्ड (३) में,–

(क) वस्तू और पैकेट पर विशिष्ट पहचान्ह चिन्ह चिपकाने की जानकारी और रीति विहित करना;

(ख) ऐसे समय के भीतर जानकारी और ब्यौरे देने के प्ररूप और रीति ;

(ग) कारोबार का स्थान और ऐसे अन्य ब्यौरे या सूचना में स्थापित की गयी यंत्रणाओं के ब्यौरे के अनुसरण के प्ररूप और रीति, विहित करना।

२. विधायीशक्ति के प्रत्यायोजन के लिए उपरोल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप के है।

वित्तीय ज्ञापन

वस्तुं और सेवा कर परिषद द्वारा लिए गए विनिर्णयों का कार्यान्वयन करने तथा केंद्रिय वस्तुं और सेवा कर अधिनियम, २०१७ और महाराष्ट्र वस्तु और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (सन् २०१७ का महा. ४३) के उपबंधों की प्रयुक्ति में एकरूपता बनाए रखने की दृष्टि से, महाराष्ट्र वस्तुं और सेवा कर अधिनियम, २०१७(सन् २०१७ का महा. ४३) की विभिन्न धाराओं में कतिपय संशोधन किए गए है।

विधेयक में, ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो, राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रूप में उसकी अधिनियमिति पर राज्य की समेकित निधि में से आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्विष्ट कर सकेगा।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य ।

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल की अनुशंसा

(महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग, आदेश कि प्रत)

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के खंड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्यपाल महोदय, महाराष्ट्र वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, २०२५ ई. पर पुरःस्थापना करने की अनुशंसा करते है।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित ३ जुलाई, २०२५।

जितेंद्र भोळे,
सचिव-१,
महाराष्ट्र विधानसभा।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.